

# ORDER SHEET[Contd.]

विशेष सत्र प्र क 97 / 16

Date of order of proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of parties or pleaders where necessary
	<p><b>पश्चात्</b></p> <p>म.प्र.राज्य की ओर से श्री मदनमोहन द्विवेदी विशेष लोक अभियोजक।</p> <p>आवेदक/आरोपी <b>रिजाद अली</b> द्वारा श्री अब्दुल मलिक कुरैशी, अधिवक्ता।</p> <p>प्रार्थी कुमारी <b>श्वेता हिरकने</b> जमानत आवेदन की सुनवाई का सूचनापत्र तामीली के उपरांत अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक/आरोपी ने पुलिस थाना अजाक बालाघाट के अपराध क्र 211/2016 धारा 376, 341, 354सी,डी, 506 भा.द.सं., धारा 67 आई.टी.एक्ट, धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्या0निवा0) अधिनियम 1989 के अपराध में जमानत की सहायता बाबत <b>धारा 439 द.प्र.सं.</b> के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसे इस न्यायालय में <b>द्वितीय</b> जमानत आवेदन होना तथा माननीय उच्च न्यायालय में आरोपी की आपराधिक अपील क्रमांक 2048/2016 दिनांक 06.12.2016 को निरस्त होने का उल्लेख जमानत आवेदन में किया है। समर्थन में शाहिना मीर पिता हैदर मीर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>जमानत आवेदन में सारांशतः यह आधार लिया गया है कि आवेदक/आरोपी निर्दोष है। प्रार्थी की माँ के साथ आरोपी का उधार लेनदेन का संव्यवहार था, प्रार्थी की माँ ने बीस हजार रुपये आरोपी से लिया था तथा मांग करने पर टालमटोल करती थी, ज्यादा जोर देने पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपी ने कथित अपराध नहीं किया है। इन आधारों पर जमानत के सहायता की प्रार्थना की गई है।</p> <p>जमानत आवेदन का विरोध विशेष लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर होना बताते हुए किया है। पुलिस प्रतिवेदन में आरोपी को दबंग किस्म का आदतन अपराधी बताया गया है तथा इसी प्रकृति का अन्य अपराध थाना वारासिवनी में अपराध क्र 322/13 धारा 376, 342, 506बी आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किये जाने का पुलिस प्रतिवेदन में उल्लेख है तथा इस आधार पर जमानत आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>आरोपी का प्रथम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2016 को निरस्त किया गया था तत्पश्चात् आरोपी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील क्रमांक 2048/2016 "रिजाद अली वि0 राज्य" प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 06.12.2016 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है, ऐसी दशा में आरोपी का यह जमानत आवेदन इस न्यायालय में स्वीकार योग्य नहीं रह गया है तथा जमानत के संबंध में अधिकारिता अब केवल माननीय उच्च न्यायालय को ही है। इन परिस्थितियों में आरोपी का यह <b>द्वितीय</b> जमानत आवेदन</p>	

Date of order of proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of parties or pleaders where necessary
	<p>स्वीकार योग्य न होने से <b>निरस्त</b> किया जाता है।</p> <p>प्रकरण पूर्ववत अभियोजन साक्ष्य हेतु <b>दिनांक 28.03.2017</b> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(राजीव कुमार श्रीवास्तव) विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) बालाघाट</p>	